भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2894

दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से सड़क निर्माण

2894. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्राम पंचायतों द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के माध्यम से वित्तपोषित सड़क निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए निष्पादन एजेंसियां बनाने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यों के लिए तकनीकी मंजूरी, गुणवत्ता नियंत्रण, निविदा प्रक्रिया और वित्तीय संपरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में, विशेषकर राजस्थान से ऐसे मामले आए हैं जिनमें सक्षम तकनीकी तंत्र के अभाव वाली ग्राम पंचायतों द्वारा डीएमएफटी निधि के माध्यम से निष्पादित कार्यों के कारण वित्तीय अनियमितताओं या राजस्व हानि की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) दिशानिर्देश, 2024 के अनुसार, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधियों से परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने तथा व्यय अनुमोदित करने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली संबंधित डीएमएफ की शासी परिषद के पास होती है। शासी परिषद में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिनमें

संसद सदस्य (एमपी), विधान सभा के सदस्य (एमएलए), विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) तथा पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं के प्रतिनिधि होते हैं, वे इसमें शामिल होते हैं। इन दिशानिर्देशों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति के गठन का भी प्रावधान है, जो डीएमएफ के प्रदर्शन, पारदर्शिता मानकों के अनुपालन, लेखा-परीक्षा करवाने तथा वार्षिक रिपोर्ट संबंधी दायित्वों की निगरानी करेगी।

इसके अलावा, डीएमएफ निधियों के उपयोग में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए, पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डीएमएफ खातों की लेखा-परीक्षा कराने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय ने दिसंबर, 2025 में सभी डीएमएफ को सीएजी द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंटों के माध्यम से डीएमएफ खातों की वार्षिक लेखा-परीक्षा कराने का निर्देश दिया।

पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित खनन-प्रभावित ग्रामों के मामले में, पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

इसके अलावा, राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2025 में यह प्रावधान है कि न्यास की शासी परिषद किसी विशिष्ट परियोजना अथवा न्यास द्वारा अनुमोदित कार्य के लिए किसी भी कार्य विभाग या ग्राम पंचायत को कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में नामित करने का अधिकार प्राप्त है। राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2025 में यह भी निर्धारित किया गया है कि नामित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के लागू नियमों, प्रक्रियाओं, वित्तीय प्रावधानों, तकनीकी मानकों तथा विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ): राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, डीएमएफटी निधियों का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायतों के माध्यम से किए गए कार्यों के लिए पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय नियंत्रण तंत्र विद्यमान हैं। ऐसे कार्य निर्धारित तकनीकी अनुमोदनों, सक्षम तकनीकी अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, मापन एवं सत्यापन, वित्तीय नियंत्रण, लेखा-परीक्षाओं तथा अन्य लागू मानकों एवं प्रक्रियाओं के अधीन होते हैं।
